--- प्रेस विज्ञप्ति ---

EOW एवं जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में सिंगरौली सहित पूरे प्रदेश में 16 स्थानों में की गई छापेमारी

* कार्यवाही में लगभग 20 करोड़ का GST अपवंचन उजागर हुआ।
* फर्जी इनॅवाइस के जरिये लेते थे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ।
* लगभग एक दर्जन जिलों में कार्यवाही जारी बड़े खुलासे एवं कर अपवंचन राशि बढ़ने की उम्मीद ।

GST अपवंचन की सूचना पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) एवं जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक **02.09.2025** को सिंगरौली जिले में व्यापक स्तर पर छापेमारी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही तारतम्य में सिंगरौली एवं प्रदेश के एक दर्जन अन्य जिलों में छापेमारी कार्यवाही की जा रही है।

सूचना प्राप्त हुई थी कि कर सलाहकार अनिल कुमार शाह बैढ़न जिला सिंगरौली के द्वारा अनेक फर्मो से बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर स्थानीय फर्मो को उपलब्ध कराई गई जिसके एवज में आर्थिक लाभ/कमीशन अनिल कुमार शाह के द्वारा प्राप्त किया गया। फर्मो द्वारा बिना माल अथवा सेवाओं के वास्तविक प्राप्ति के आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त की जाकर लगभग 20 करोड़ की राजस्व क्षति शासन को पहुचायी गई है। जांच दल द्वारा जप्त किये गये दस्तावेजों एवं डिजिटल डाटा का परीक्षण किया जा रहा है, जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही कर अपवंचन की वास्तविक राशि की गणना की जा सकेगी।

संयुक्त टीम द्वारा लगातार विभिन्न फर्मो एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछतांछ की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर कई संदिग्ध लेन-देन एवं फर्जी बिलिंग किये जाने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा डा0 अरविन्द सिंह ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी श्री दीप खरे के नेतृत्व में निरीक्षक श्री हरीश त्रिपाठी, उप निरीक्षक श्री पवन राज, उप निरीक्षक श्री अभिषेक पाण्डेय, प्र0आर0 श्री सत्य नारायण मिश्रा, प्र0आर0 श्री घनश्याम त्रिपाठी, आर0 श्री संतोष मिश्रा, आर0 श्री अमित दुबे एवं सायबर सेल मुख्यालय भोपाल से प्र0आर0 श्री सुनील कुमार मिश्रा, प्र0आर0 श्री राकेश यादव एवं जीएसटी के अधिकारीगण द्वारा की जा रही है।